विशेष

9

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश (भाग 1)*

बच्चे के जीवन के पहले आठ वर्ष निर्माणात्मक वर्ष होते हैं, जिन्हें मस्तिष्क की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। हाल ही में हुए तंत्रिका विज्ञान अनुसंधानों (ब्रेन रिसर्च) ने बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के महत्व की पुष्टि की है। अनुसंधानों से पता चला है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में सार्थक संज्ञानात्मक, भाषायी, सामाजिक और गत्यात्मक क्षमताओं के विकास के लिए कुछ 'विशिष्ट अवधियाँ' महत्वपूर्ण होती हैं, जो बाद के जीवन की सफलता में योगदान देती हैं। यह अवस्था सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत आदतों के निर्माण की नींव में भी महत्व रखती है। इस अवस्था में बच्चे अपने चारों ओर के लोगों और संसार के प्रति उसके रंगों, आकृतियों, ध्वनियों, आकारों और रूपों के प्रति मुग्ध एवं जिज्ञासु होते हैं। दूसरों से जुड़ने और उनके साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की यह योग्यता सीखने का विशेष आधार बनती है। बच्चों में संसार को अनुभव करने वाली योग्यता अधिक समृद्ध और विभिन्नता प्रदान करने वाली होती है। अपने परिवेश की खोजबीन करने हेतु बच्चे प्रेक्षण, प्रश्न पूछने, चर्चा करने, अनुमान लगाने, विश्लेषण करने, खोज करने, जाँच-पड़ताल करने और प्रयोग करने में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे व्यापक और विस्तृत संकल्पनाओं और विचारों की रचना करते हैं, उनमें सुधार करते हैं और उन्हें विकसित करते हैं। बच्चों को प्रेक्षण, खोजबीन और जाँच-पड़ताल के पर्याप्त अवसर देने की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने आस-पास के और व्यापक परिवेश की समझ विकसित कर सकें।

छोटे बच्चे एक भावनात्मक रूप से सहायक और सक्षम परिवेश में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, जहाँ एक उत्तरदायी शिक्षक बच्चों के साथ सुरक्षित और सुदृढ़ संबंध बनाने में मदद करता है। ऐसे वातावरण में बच्चे खोजबीन करने, अभिव्यक्त करने, सीखने और आत्मविश्वास हासिल करने हेतु स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। साथ ही यह स्वाभाविक न्याय (इक्विटी) को प्रोत्साहित करता है, विद्यालय की उपस्थिति में सुधार लाता है, मानव संसाधन में उच्च योगदान अर्पित करता है और समुदायों तथा समाजों को व्यापक लाभ भी पहुँचाता है। अतः प्रत्येक बच्चे

*रा.शै.अ.प्र.प. की *पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश* पुस्तिका को देखें।

© NCERT not to be republished

को समर्थ बनाने वाला वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इन प्रारंभिक वर्षों में निवेश करना महत्वपूर्ण होता है, जो कि न केवल उनका अधिकार है, बल्कि जीवनपर्यंत सीखने की नींव डालने का एक तरीका भी है। ऐसा बेहतर प्रावधान सुनिश्चित करके छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है।

भारत सरकार ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रावधान किए हैं, जैसे—स्वास्थ्य और देखभाल सुविधाओं की उपलब्धि, आधारिक संरचना, पाठ्यचर्या, शिक्षक-प्रशिक्षण और शिक्षण-अधिगम को बढ़ावा देने के प्रयास। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013 और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए गुणवत्ता मानक, 2013)। अभी हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 3 से 8 वर्ष के बच्चों अर्थात विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा (कक्षा 1 और 2) के लिए प्रावधानों तक पहुँच में वृद्धि हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के साथ, अब सभी बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे 6 वर्ष के होने पर विद्यालय आएँ। शोध द्वारा पता चलता है कि बच्चों की एक बड़ी संख्या अपर्याप्त विद्यालयी तैयारी के साथ प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेती है जिसकी वजह से उनके सीखने का स्तर कम रह जाता है तथा विद्यालय से बाहर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए मानक प्रतिमान की आवश्यकता है जो लचीला हो और प्रासंगिकता के अनुसार कार्यान्वयन कर्ताओं द्वारा अनुकूल बनाया जा सके।

प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को विकास एवं आयु अनुरूप उपयुक्त सीखने के अवसर देने की आवश्यकता है जो उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और विद्यालय शिक्षा में प्रवेश को सहज और निर्बाध बनाते हैं। इस संदर्भ में, गुणवत्तावूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक दिशा-निर्देश पुस्तिका विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

यह दिशा-निर्देश किसके लिए हैं?

यह दिशा-निर्देश सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, नियोजकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासकों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के मालिकों के लिए हैं। यह दिशा-निर्देश आवश्यक भौतिक आधारिक संरचनाओं, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, स्टाफ की योग्यताओं, वेतन और उनकी भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों के बारे में जानकारी देते हैं। यह प्रवेश प्रक्रिया, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के साथ-साथ बनाए जाने वाले रिकॉर्डों और रजिस्टरों पर प्रकाश डालते हैं। यह पाठ्यचर्या का संक्षिप्त परिचय देते हैं और समन्वयनता अभिसरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो 3–6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को दी जाती है। यह संयोजित शिक्षा का पहला स्तर है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को प्री-स्कूल

© NCERT not to be republished

शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह सरकारी और निजी विद्यालयों में किसी भी एक व्यवस्था, जैसे— आँगनबाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री-स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल, किंडरगार्डन, मॉन्टेसरी स्कूल और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के नाम से दी जाती है।

- यह निर्देश कक्षा 1 से पूर्व 3 वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर बात करते हैं।
- 3 वर्ष की आयु पूरी होने पर पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अनुशंसा की गई है।
- यह दिशा-निर्देश 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संबंध में बात नहीं करते हैं।
- यह 3–6 वर्षों की आयु के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर बात करते हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की परिकल्पना

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 3–6 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सर्वव्यापक, न्यायसंगत, आनंददायक, समावेशी और संदर्भित सीखने के अवसरों की उपलब्धता को बढ़ावा देने पर विचार करती है। यह सब अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा बच्चों को भावात्मक रूप से समर्पित, सांस्कृतिक रूप से स्थापित, बाल-अभिमुखी, प्रेरक अधिगम वातावरण उपलब्ध कराके सुनिश्चित किया जा सकता है। यह खेल और विकास-संबंधी उपयुक्त पद्धतियों के माध्यम से जीवन भर सीखने के लिए प्रबल आधार निर्मित करके अभिव्यक्ति क्षमता को अधिकतम करने पर लक्षित होती है। यह स्वस्थ प्रवृति, अच्छे मूल्य, विवेचनात्मक चिंतन, सहयोग, संप्रेषण, रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी, साक्षरता तथा सामाजिक-भावात्मक विकास को विकसित करना और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय में आना भी सुनिश्चित करती है। इससे बच्चे भविष्य में उत्पादक और संतोषप्रद जीवन प्राप्त करते हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अति महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं—

- सर्वांगीण विकास और जीवनपर्यंत सीखने के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराना।
- बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

- बाल-हितैषी वातावरण सुनिश्चित करना, जहाँ प्रत्येक बच्चे का महत्व हो, उसे आदर मिले, वह सुरक्षा और सुदृढ़ता का अनुभव करें और एक सकारात्मक आत्मधारणा विकसित करें।
- अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, स्वस्थ आदतें और स्वच्छता के लिए ठोस आधार तैयार करना।
- बच्चों को प्रभावी संप्रेषक बनने और ग्रहणशील तथा भावबोधक दोनों भाषाओं को विकसित करने में सक्षम बनाना।
- बच्चों को भागीदारी शिक्षार्थी बनने, विवेचनात्मक रूप से सोचने, रचनात्मक, भागीदार, संप्रेषक बनने और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ने में मदद करना।
- बच्चों द्वारा पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक विद्यालय में बदलाव को सहज रूप से समायोजित करना।
- अभिभावकों और समुदायों के साथ हर बच्चे के विकास के अवसर प्रदान करने हेतु एक जोड़ीदार के रूप में कार्य करना।

© NCERT not to be republished

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के वर्तमान मॉडल

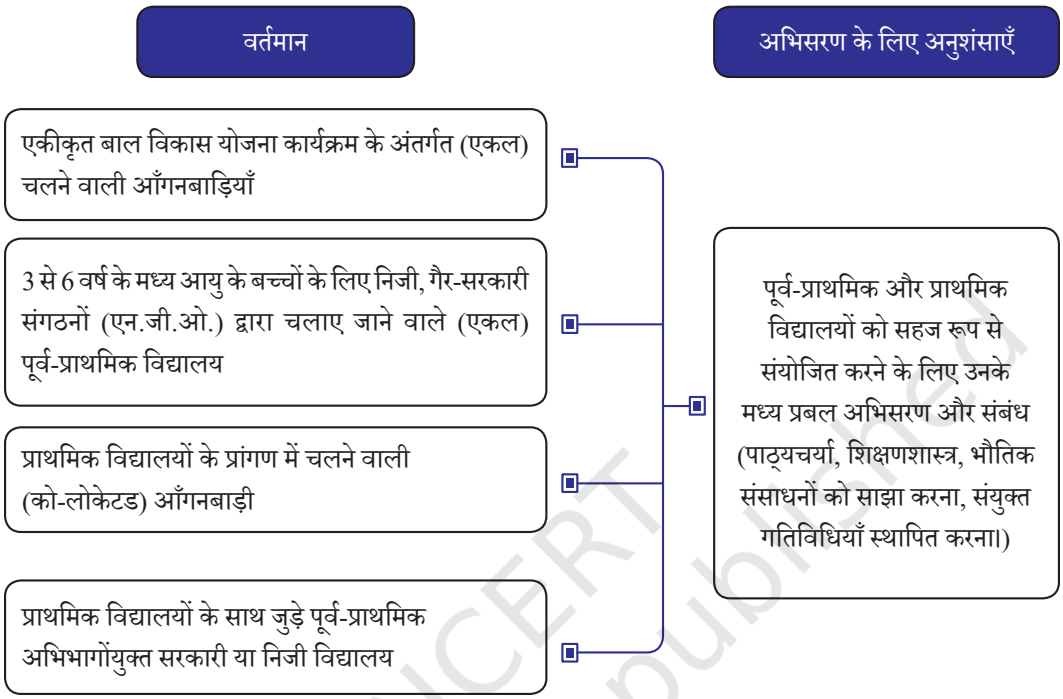

देश में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। वर्तमान मॉडलों में आँगनबाड़ी, निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय (स्वचालित), पूर्व-प्राथमिक अभिभागों वाले सरकारी/निजी विद्यालय और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्थित आँगनबाड़ी शामिल हैं।

प्राथमिक कक्षाओं के साथ संयोजन (लिंकेज)

पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाएँ शिक्षा के लिए, विद्यालय के लिए और जीवन के लिए बुनियादी स्तर का निर्माण करती हैं। 3–z8 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चे विकासात्मक सततता प्रदर्शित करते हैं, अतः पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र और सीखने के प्रतिफलों के बीच ऊर्ध्वामुखी संबंध (upward linkage) होने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंध के तीन क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो हैं— व्यवस्थाएँ, तंत्र और व्यक्ति। ऐसे संबंधों को निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है—

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों के परिसर या उनके आस-पास स्थापित करना।
- कक्षा 1 और 2 की भौतिक व्यवस्थाओं को पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के समान ही नियोजित किया जाना चाहिए, जिसमें गतिविधि कोने,

© NCERT not to be republished

मुद्रित सामग्री से समृद्ध परिवेश और बच्चों के कार्य का प्रदर्शन हो।

- बैठने की व्यवस्था हो, जिसमें बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और अनुभव साझा कर सकें, समस्या-समाधान कौशल, सहन करने/सामना करने के कौशल विकसित कर सकें, नियमों का पालन करें और सामाजिक तथा भावात्मक स्वस्थता की समझ प्राप्त कर सकें।
- सिखाने और सीखने में समान शिक्षणशास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करने के साथ-साथ विद्यालय के भौतिक तथा सामाजिक-भावात्मक परिवेश (आधारित-संरचना, संसाधनों, शिक्षक -बालक पारस्परिक क्रियाएँ आदि) के विषय में अच्छी जानकारी बनाए रखें।
- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में की जाने वाली गतिविधियों और बच्चों के पोर्टफोलियो के माध्यम से उनकी प्रगति को साझा करने के लिए निरंतर बातचीत होनी चाहिए।
- प्राथमिक कक्षाओं के साथ संसाधनों को साझा करने और वार्षिक दिवस, खेलकूद दिवस, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा दिवस, त्यौहार, बाल मेला, वृक्षारोपण दिवस जैसी गतिविधियों को साथ-साथ करने की आवश्यकता है।

भौतिक आधारभूत संरचना

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय मूलतः एक खेल और गतिविधि-आधारित कार्यक्रम है जिसके लिए भीतर और बाहर उपलब्ध स्थान सहित पर्याप्त आधारभूत संरचना की पूर्वापेक्षा होती है। पर्याप्त आधारभूत संरचना का अर्थ आसानी से आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान का होना मात्र नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, सफाई, प्रकाश, वायु संचार तथा परिवहन के संदर्भों में भी उपयुक्त होनी चाहिए। एक गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम चलाने के लिए अनिवार्य एवं वांछित भौतिक आधारभूत संरचना नीचे दी जा रही है—

स्थान

अनिवार्य

जिस भवन में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय चल रहा हो, उसका स्थान ऐसा होना चाहिए कि—

- वहाँ तक बच्चे आसानी से पहुँच सकें।
- वह भारी यातायात, तालाबों, खाइयों, नालों, कचरे के ढेरों, पशुओं के छतदार बाड़ों, कीचड़, पानी के गड्ढ़ों और बिना ढकी नालियों से दूर होना चाहिए।
- वह एक चारदिवारी या बाड़ से घिरा होना चाहिए और साथ ही एक द्वार होना चाहिए, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई हो।

वांछनीय

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय भूतल पर स्थित होना चाहिए।
- वहाँ वाहनों के आसानी से पहुँचने और सामान पहुँचाने का सीधा मार्ग होना चाहिए।
- जहाँ तक हो, पूर्व-प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही स्थित होना चाहिए

© NCERT not to be republished

अथवा प्राथमिक विद्यालय के पास या बगल में होना चाहिए।

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के आस-पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, जिनका उपयोग शैक्षिक सामग्री के रूप में किया जा सके।

खेल और गतिविधि क्षेत्र (बाह्य और आंतरिक क्षेत्र)

बाह्य क्षेत्र

अनिवार्य

- बाह्य खेल क्षेत्र काफ़ी बड़ा होना चाहिए अर्थात कम से कम 300/450 (15 × 20/30) वर्ग मीटर प्रति 25 बच्चे, जहाँ बच्चे सुरक्षित रूप से खेल सकें और चारों ओर दौड़ सकें।
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए खेल का मैदान और सामग्री उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

वांछनीय

- एक रेत से खेलने का क्षेत्र किसी छायादार और बाड़े से घिरे स्थान जैसे पेड़ के नीचे बनाया जा सकता है।
- पानी से खेलने का क्षेत्र बनाया जा सकता है या एक पानी का टब भीतर या बाहर दोनों क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।

आंतरिक क्षेत्र

- अधिकतम 25 बच्चों को जगह देने के लिए एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कक्षा-कक्ष का मानक फर्श क्षेत्र कम से कम 35 (5 × 7) वर्ग मीटर होना चाहिए।
- यह स्थान भली-भाँति वायु संचारित और प्रकाशित होना चाहिए। इसमें उचित छत, खिड़कियाँ, दरवाजे और फर्श होने चाहिए तथा जहाँ आवश्यकता हो, चटाइयों का प्रावधान होना चाहिए।
- कुर्सियों और मेजों का आकार बच्चों के अनुरूप होना चाहिए।
- लचीली कक्षा-कक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक के ऊपर एक रखा जा सकने वाला बाल-अनुरूप फर्नीचर होना चाहिए जिसे खेल गतिविधियों के अनुसार आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके।
- बच्चों की ऊँचाई के अनुरूप एक ब्लैकबोर्ड का प्रावधान होना चाहिए।
- घेरा समय/बड़े समूह की गतिविधियों के लिए एक दरी/गद्दा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- खेलने और सीखने की सामग्री रखने के लिए कम ऊँचाई के खुले शेल्फ या खुली बड़ी टोकरियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन पर चित्र और मुद्रित लेबल लगे हों, जिससे छोटे बच्चों में मुद्रित सामग्री को पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो।
- रोशनी, पंखों और बिजली के अन्य उपकरणों के लिए बिजली उपलब्ध होनी चाहिए।
- मोम के रंग (क्रेयॉन), विविध प्रकार के कागज़, स्केच पेन, रंगीन चॉक आदि जैसी सामग्री का नियमित प्रावधान और आपूर्ति होनी चाहिए।

कक्षा-कक्ष में गतिविधि क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। यदि जगह की कमी है तो विषयवस्तु और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार बदल-बदल कर/

© NCERT not to be republished

अस्थायी रूप से गतिविधि क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। गतिविधि क्षेत्रों को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे कमरे के हर भाग से दिखाई दें। इससे शिक्षक सभी बच्चों पर नज़र रख सकेगा। नीचे कुछ प्रस्तावित गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, जिन्हें बच्चों के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ सुसज्जित किया जाना चाहिए।

पुस्तक क्षेत्र— इस क्षेत्र में बच्चों की आयु के अनुरूप विविध प्रकार की पत्रिकाएँ, जानकारी देने वाली पुस्तकें, चित्र पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें, बड़ी पुस्तकें, स्थानीय लोक कथाएँ, विषय-आधारित पुस्तकें, कॉमिक्स, स्लेटें, पेंसिलें, चॉक आदि होनी चाहिए।

गुड़िया क्षेत्र/नाटकीय प्रस्तुति क्षेत्र— इस क्षेत्र की सामग्री में विभिन्न प्रकार की गुड़िया, गुड़िया के आकार का फर्नीचर और कपड़े, गुड़िया के आकार के खाना बनाने के बर्तन (बर्तन, प्लेटें, चम्मच आदि), नकली भोजन पदार्थ (मिट्टी की बनी सब्ज़ियाँ या फल), पहनने के कपड़े (स्कार्फ, टोपी, दुपट्टा, जैकेट, छोटी साड़ी, कपड़े के लंबे टुकड़े आदि), कंघी, दर्पण, चलने की छड़ी, पुराने चश्मे, खिलौने, टेलीफोन या कैमरे, एक बक्सा और एक खाने का डिब्बा शामिल किए जा सकते हैं।

खोजबीन क्षेत्र— इसमें आवर्धक लेंस, शंख, पौधे, बीज, चुंबक, लोहे की वस्तुएँ, तराजू, बाट, नापने के टेप या कोई अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री रखी जा सकती है।

ब्लॉक निर्माण क्षेत्र— इस क्षेत्र में विभिन्न रंगों, आकृतियों रंगों, आकृतियों और आकारों के विविध ब्लॉक (गुटके) जैसे खोखले ब्लॉक, आपस में जुड़ जाने वाले ब्लॉक, फोम के ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक आदि रखे जा सकते हैं।

हस्तकौशल युक्त क्षेत्र— इस क्षेत्र में हस्तकौशल युक्त सामग्री होनी चाहिए, जैसे— पहेलियाँ, मिलान कार्ड, लेस कार्ड, बीज, क्रमबद्ध आकृतियाँ, इनसेट बोर्ड, शंख, छाँटने के लिए सामग्री, धागे और मनके, छोटे खिलौने (कार, ट्रक, जंतु), खिलौना आकृति, टुकड़ों में बँटने वाले खिलौने, नंबर छड़ी, एबेकस और पर्यावरण से अन्य वस्तुएँ, जैसे— पत्तियाँ, पत्थर, कंकड़, तिनके, फूल आदि।

कला क्षेत्र— इस क्षेत्र में शामिल सामग्री होनी चाहिए— विभिन्न प्रकार के कागज़ (लाइनों वाले, बिना लाइनों वाले), क्रेयॉन, पेंसिलें, मिटाए जा सकने वाले मार्कर, स्लेटें, रंगीन चॉक, कपड़ों के टुकड़े, पेंट, ब्रश, टेप, खेलने के लिए गूँधा हुआ आटा/मिट्टी, रोलिंग पिन, बोर्ड, स्टेंसिल, पुराने अखबार, पत्रिकाएँ, आईस्क्रीम स्टिक्स और अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री।

संगीत और गति क्षेत्र— संगीत क्षेत्र में ढफली, घंटियाँ, प्याले, बाँसुरियाँ, वाद्ययंत्र, संगीत उपकरण और गानों, कविताओं तथा शिशु गीतों की विविध डी.वी.डी. होनी चाहिए। इस क्षेत्र में रिबन या स्कार्फ जैसी वस्तुएँ हो सकती हैं जिसे बच्चे रचनात्मक गति/लय को दर्शाने के लिए मंच सामग्री के रूप में उपयोग में ले सकते हैं।

वांछनीय

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों के लिए पुस्तकालय होना चाहिए

© NCERT not to be republished

जिसमें उपयुक्त संसाधन सामग्री और श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री होनी चाहिए।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के लिए सुविधाएँ

वांछनीय

- टेलीविज़न/संगीत उपकरण, पर्दे सहित एल.सी.डी. प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड/इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड, डिजिटल कैमरा, डी.वी.डी./सी.डी. आदि का उपयोग पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में किया जा सकता है।
- आई.सी.टी. का उपयोग पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक प्राथमिक कक्षा के बच्चों को संयुक्त रूप से अनुभव कराने के लिए किया जा सकता है, जैसे— कहानी, संगीत और नृत्य अनुभव आदि को पर्दे पर दिखाना।
- शिक्षक उपलब्ध ई-संसाधनों, जैसे— इंटरएक्टिव वेबसाइट्स, शैक्षिक ऐप्स, शैक्षिक वीडियो साइट्स, डिजिटल कहानी सुनाना और ई-पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं।
- शिक्षक ऑनलाइन संगठनों से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ वे अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप और मोबाइल फोन पर पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए बहुत अधिक काम में आने वाली वेबसाइटों को इकट्ठा और व्यवस्थित कर सकते हैं।

स्टाफ के लिए सुविधाएँ

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ के लिए अपनी व्यक्तिगत चीज़ें (शिक्षक डायरी, बच्चों के वर्णनात्मक रिकॉर्ड आदि) रखने के लिए, गतिविधियों की योजना बनाने और उन पर चर्चा करने, प्रशासनिक कार्य करने और अभिभावकों के साथ बैठकें करने के लिए एक अलग स्थान या कमरा होना चाहिए।
- कमरे में मेज, कुर्सियाँ, बेंच और छोटी अलमारियाँ उपलब्ध होनी चाहिए।
- स्टाफ के लिए एक अलग शौचालय होना चाहिए।

पीने के पानी और हाथ धोने के लिए सुविधाएँ

- स्वच्छ पीने का पानी और हाथ धोने की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- यदि पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में जल शुद्धिकरण के उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो इनकी नियमित सफ़ाई और रख-रखाव होना चाहिए।
- उपयोग के बाद गिलासों/कपों को धोने का प्रावधान होना चाहिए।

शौचालय सुविधा

- बच्चों के अनुकूल शौचालय होने चाहिए। लड़कों, लड़कियों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग शौचालय हों।
- शौचालय सुरक्षित होने चाहिए। उनका रख-रखाव और जल आपूर्ति नियमित होनी चाहिए।
- हाथ धोने के लिए साबुन और एक साफ़ तौलिया होना चाहिए।

© NCERT not to be republished

- शौचालय में लगी वस्तुएँ और सिंक बच्चों की पहुँच के अनुसार होनी चाहिए।
- शौचालय की नियमित सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

सोने/विश्राम की सुविधाएँ

- यदि पूर्व-प्राथमिक विद्यालय की समयावधि प्राथमिक विद्यालय के अनुरूप चार घंटे से अधिक है, तो सभी बच्चों के लिए झपकी या विश्राम की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- साफ गद्दों और चादरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

परिवहन सुविधा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार सुरक्षित परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए अपनी स्वयं की दिशा-निर्देश पुस्तिका विकसित करें।

भंडारण स्थान

अनिवार्य

कागज़/क्रेयॉन/स्केच पेन, चार्ट, शिक्षण सहायक सामग्री, फोल्डर और पोर्टफोलियो आदि जैसी वस्तुओं को रखने के लिए स्थान (शिक्षक और बच्चों, दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

वांछनीय

प्रत्येक बच्चे को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए कम ऊँचा शेल्फ/लॉकर उपलब्ध कराना चाहिए। ये बच्चे की ऊँचाई पर उसकी सहज पहुँच में होने चाहिए।

बाधारहित परिवेश

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित को सुनिश्चित करना चाहिए—

- कक्षा-कक्ष की व्यवस्था ऐसी हो कि कक्षा में सभी बच्चों का आवागमन सहज हो।
- हत्थों वाले रैंप।
- सभी गतिविधि क्षेत्रों में खेल उपकरण और सामग्री, फर्नीचर तथा अन्य सुविधाएँ।
- संशोधित उपकरणयुक्त शौचालय।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ

एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में ऐसा समर्पित स्टाफ होना चाहिए, जो पूर्व-प्राथमिक केंद्रों में बच्चों के लिए एक सौहार्द्रपूर्ण और आनंददायक वातावरण बनाने में सहयोग कर सके। पूर्व-प्राथमिक स्टाफ, विशेष रूप से शिक्षक, बच्चों को कक्षा-कक्ष के भीतर और बाहर अवसर उपलब्ध कराते हैं। शिक्षकों के अलावा, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशासक तथा सहायक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। उनके अनुभवों, शिक्षा और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के प्रति समर्पण के आधार पर उनका सावधानीपूर्वक चयन होना चाहिए। स्टाफ सदस्यों की योगयता, बच्चों के सीखने और पूर्व-प्राथमिक केंद्रों के उचित संचालन में उनकी भूमिका, आदर्श शिक्षक-बालक अनुपात, उनकी वेतन संरचना, भर्ती और सेवा शर्तें, साथ ही उनके व्यावसायिक विकास की चर्चा नीचे की गई है।

© NCERT not to be republished

सुझावित स्टाफ, योग्यता और वेतन स्वरूप

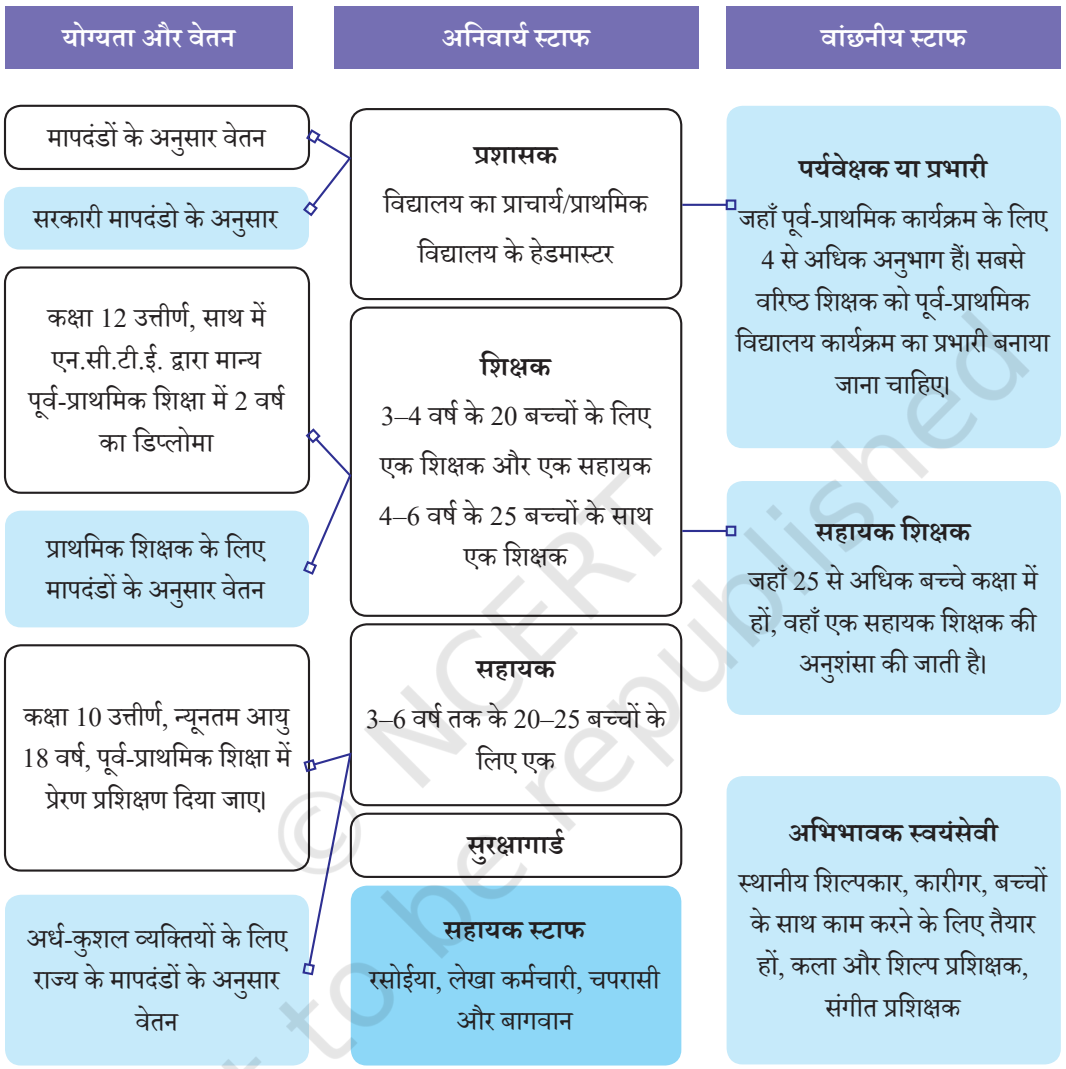

पूर्व-प्राथमिक शिक्षक

3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास और जीवनपर्यंत सीखने की नींव डालने के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवस्था में किसी भी बच्चे को एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो योगयता प्राप्त और भली प्रकार प्रशिक्षित हो, जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाने का जुनून हो, उनके साथ बातचीत करने

© NCERT not to be republished

और खेलने में जिसे आनंद आए, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने वाला और बच्चों की साझेदारी को बढ़ाने वाला हो। अतः पूर्व-प्राथमिक विद्यालय शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह एक उपयुक्त वातावरण, बाल-अनुकूल सामग्री, आयु-उपयुक्त खेल गतिविधियाँ उपलब्ध कराकर तथा अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रियाओं और समर्थन द्वारा बच्चों के सीखने को मार्गदर्शन देकर, विकासात्मक रूप से उपयुक्त उच्च गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना तैयार करे। उसे छोटे बच्चों के प्रति आवश्यक संवेदनशीलता और उनके विकास-संबंधी आवश्यकताओं की समझ के साथ-साथ बाल्यावस्था अनुभवों की विविधता के ज्ञान और कौशलों को प्रदर्शित करना चाहिए। तदनुसार उसे उनके लिए अवसरों तथा अनुभवों की योजना बनानी चाहिए जो सांदर्भिक रूप से प्रासंगिक हों और उनके सर्वोत्तम विकास में योगदान दें।

अतः यह अत्यावश्यक है कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षक के पास उपयुक्त अकादमिक योग्यता हो, वह व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हो, उसे समय-समय पर परामर्श दिया जाए और उसे प्राथमिक शिक्षकों के समान वेतन देकर समर्थन तथा प्रोत्साहन दिया जाए और वह करियर में बढ़त प्राप्त करे।

चूँकि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अभी एक अनियंत्रित क्षेत्र है और इसे एकीकृत बाल विकास योजना तथा निजी विद्यालयों द्वारा चलाया जा रहा है, यह संभावना है कि इस प्रणाली में बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक या आँगनबाड़ी कार्यकर्ता हों जो पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दे रहे हों।

अब पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा का एक अभिन्न अंग मान लिया गया है, अतः राज्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षकों के समान ही एक संवर्ग बनाएँ और शिक्षा के इस स्तर के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण राज्यों में शिक्षक विकास सुविधाओं (सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन) का विस्तार करें।

सेवा-पूर्व प्रशिक्षण

वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन.सी.ई.टी.), जो कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक संवैधानिक संस्था है, ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 12 के साथ दो वर्ष का पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा निर्धारित किया है। राज्यों को चाहिए कि वे इस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की उपलब्धता को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट्स) में स्थापित करें और संकाय को प्रशिक्षित कर प्रोत्साहन दें। साथ ही, जब भी व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता हो तो निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित करें।

सेवाकालीन प्रशिक्षण/व्यावसायिक विकास

पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवाकालिन प्रशिक्षण तथा अन्य व्यावसायिक विकास के अवसरों की रूपरेखा बनाने और उन्हें उपलब्ध कराने की

© NCERT not to be republished

आवश्यकता है, क्योंकि ये शिक्षकों को अपने क्षेत्र में ज्ञान साझा करने, परस्पर संपर्क बनाने और आधुनिक जानकारी रखने के अवसर देते हैं। व्यावसायिक विकास प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए, जो शिक्षकों के कौशलों तथा ज्ञान के विकास को बढ़ावा और विस्तार देगी।

पहले से सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों/आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, वर्तमान स्टाफ की योग्यताओं की रूपरेखा (एन.एस.क्यू.एफ.) के अंतर्गत गहन कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराकर अवसर दिए जा सकते हैं, जिसमें वांछनीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पूर्व अधिगम की मान्यता (आर.पी.एल.) और श्रेय (credit) संग्रहण तथा बहुप्रवेश और बहुनिकास विकल्पों के साथ लचीलेपन का प्रावधान होता है। ये कार्यक्रम संपर्क कार्यक्रमों द्वारा या खुले और दूरस्थ और मिश्रित तरीकों से कराए जा सकते हैं। इस लचीलेपन को अनुकूल बनाने के लिए वेतन संरचना में बदलाव किया जा सकता है। सेवाकालीन शिक्षा तथा प्रशिक्षण को 'कार्य स्थल पर' (On the job) संचालित किया जा सकता है अथवा बाहरी स्त्रोत जैसे प्रशिक्षण संस्थानों या महाविद्यालयों द्वारा दिया जा सकता है। यह कार्यशालाओं, सम्मेलनों, विषय प्रशिक्षण, क्षेत्र-आधारित परामर्श प्रशिक्षण, पर्यवेक्षित अभ्यासों और सबसे महत्वपूर्ण कि उसी स्थल पर परामर्श द्वारा दिया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों, एस.सी.ई.आर.टी. और डी.आई.ई.टी. जैसे संस्थानों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए मदद और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो (i) संपर्क कार्यक्रमों, (ii) खुले और दूरस्थ तरीके से या (iii) मिश्रित तरीके (संपर्क और दूरस्थ का मिश्रण) से दिया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्व-प्राथमिक/आँगनबाड़ी में पर्यवेक्षित प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) का घटक होने का भी सुझाव दिया जाता है।

मुख्य पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास/अभिविन्यास कार्यक्रम

प्रबंधकीय स्टाफ, जैसे— जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.), प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.), सुपरवाइजर और अन्य व्यावसायिक विकास में मदद देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेतृत्व द्वारा स्टाफ की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है जो टीम के रूप में कार्य करने, जानकारी साझा करने और व्यावसायिक स्टाफ के विकास को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करती है। अतः कार्यक्रमों में शामिल सभी पदाधिकारियों को प्रारंभिक वर्षों के महत्व, खेलने और गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में अभिविन्यस्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।

पूर्व-प्राथमिक स्टाफ के व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और संगठनों द्वारा कुछ अंतरिम उपाय किए गए हैं।

इनमें से कुछ उपाय उदाहरण के रूप में यहाँ दिए जा रहे हैं—

© NCERT not to be republished

उदाहरणस्वरूप अंतरिम उपाय		
क्र. सं.	**संगठन का नाम**	**कार्यक्रम विवरण**
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग	ई.सी.ई. में तीन माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
2.	सिक्किम सरकार	तीन माह का ई.सी.सी.ई. घटक डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में शामिल
3.	एस.सी.ई.आर.टी., नागालैंड	एन.सी.टी.ई. (एन.सी.टी.ई.) द्वारा स्वीकृत पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.पी.एस.पी.) चल रहा है।
4.	जी.सी.ई.आर.टी., गुजरात	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दो माह का ऑनलाइन प्रमाणपत्र कोर्स
5.	एस.आई.ई., पुदुच्चेरी	एन.आई.ओ.एस.के. ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी एल.डी.सी. वेतनमान प्राप्त कर स्थायी शिक्षक बन जाते हैं।
6.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ई.सी.सी.ई. में एक वर्षीय डिप्लोमा
7.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.)	ई.सी.सी.ई. में एक वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम
8.	अजीम प्रेमजी प्रतिष्ठान	आँगनबाड़ी शिक्षकों का सेवाकालीन क्षमता विकास इसमें शामिल हैं— आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण और उनके साथ कार्य करना, ताकि वे आँगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के समग्र विकास के अध्ययन केंद्रों में बदल सकें।
9.	मोबाइल क्रेश	ई.सी.डी. के लिए व्यापक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें शिशु देखभाल के सभी घटक, जैसे— स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और शिक्षा शामिल हैं।

सहायक/सहायिका

पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षक को एक सहायक की आवश्यकता होती है, क्योंकि सहायिका नियमित रूप से छोटे बच्चों के साथ कार्य करती है, इसलिए उन्हें बाल विकास के मूल सिद्धांतों, छोटे बच्चों के साथ कार्य करने, बच्चों की साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता को बनाए रखने, कक्षा में भोजन परोसने में मदद

© NCERT not to be republished

करने और शिक्षक को विभिन्न गतिविधियों में मदद करने हेतु ज्ञान और कौशलों की आवश्यकता होती है। उसका अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के लिए भली-भाँति प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। सहायक को दैनिक पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या को लागू करने हेतु शिक्षक की मदद करनी चाहिए। जब भी आवश्यकता हो, उसे बच्चों के साथ कुछ गतिविधियाँ कराने योग्य भी होना चाहिए। सहायकों की योग्यता और इस क्षेत्र में उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, उनके करियर उन्नयन का प्रावधान भी होना चाहिए।

3.3 पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

प्रशासकीय				
पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का मुखिया	**पर्यवेक्षक या प्रभारी**	**शिक्षक**	**सहायक शिक्षक**	**सहायक**
• पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सँभालना। • अभिसरण के लिए को-लोकेटेड आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वयन करना। • पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना। • जब भी आवश्यकता हो, स्टाफ के साथ बैठकें आयोजित करना और बैठकों का रिकॉर्ड रखना। • सभी शिक्षकों और अन्य स्टाफ का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना।	• केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, जैसे—स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, आग का नियमित निरीक्षण और सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करना। • पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के नियमित प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। यह दायित्व शिक्षण के साथ अथवा शिक्षण के बिना किया जाना होगा। • नियमित स्टाफ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु समय-समय पर प्रेक्षण करना, उपयुक्त दस्तावेज़ों का रख-रखाव करना और समय-सीमा का पालन करना। • समूह के लिए नियमित स्टाफ बैठकें आयोजित करना।	• सामान की खरीदारी में प्रधानाध्यापक/पर्यवेक्षक की मदद करना। • सहायक शिक्षक को स्वयं की अनुपस्थिति में पाठ्यचर्या संप्रेषण के लिए प्रशिक्षित करना। • पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायता के लिए सहायक को प्रशिक्षित करना। • पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के पर्यवेक्षक और प्रधान अध्यापक को मदद करना। • सहायक के कार्य का पर्यवेक्षण करना।	• सहायक के कार्य का पर्यवेक्षण करना। • शिक्षक को आयु-उपयुक्त गतिविधियों की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने में मदद करना।	

© NCERT not to be republished

कार्यक्रम और पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन				
• प्रभावी पाठ्यचर्या संप्रेषण के लिए समन्वयन और मदद करना। • शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अन्य व्यावसायिक विकासीय गतिविधियों के आयोजन को पर्यवेक्षित करना और उनके संचालन में भाग लेना।	• अन्य स्टाफ (अर्थात सहायक शिक्षक और सहायक) को मार्गदर्शन, सहारा तथा तकनीकी सहायता देना। • आयु और विकास उपयुक्त पाठ्यचर्या की योजना बनाना, आयोजन करना और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना। • सभी बच्चों के (ग्रोथ मॉनिटरिंग) बढ़त पट्टी, स्वास्थ्य जाँच और रिकॉर्डों के उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करना कि बच्चों को संतुलित नाश्ता और भोजन दिया जा रहा है। • हर समय बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना।	• आरंभिक सीखने के प्रतिफलों और विकासीय लक्ष्यों से परिचित होना और तदनुसार गतिविधियाँ नियोजित करना। • बच्चों की विविधता और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने हेतु मासिक/साप्ताहिक और दैनिक कार्यक्रम तैयार करना विद्यार्थियों के पोर्टफोलियों का रख-रखाव करना। • विकास में हो रही देरी को पहचानना। विशेष प्रशिक्षकों की मदद से विशेष आवश्यकता वाले बच्चें के लिए गतिविधियों की योजना बनाना और व्यवस्था करना। • आवश्यकतानुसार क्षेत्र भ्रमण/प्रकृति भ्रमण की योजना बनाना और व्यवस्था करना। • संतुलित नाश्ते और भोजन की योजना बनाना।	• शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करना। • पूर्व-प्राथमिक शिक्षक के मार्गदर्शन अनुसार छोटे समूहों में गतिविधि के आयोजन में मदद करना और गतिविधियाँ आयोजित करना। • बड़े समूह में कराई जाने वाली गतिविधियों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षक की मदद करना, जैसे— कहानी सुनाना, सर्कल टाइम (घेरा समय) गतिविधियाँ। • प्रारंभिक सीखने के प्रतिफलों और विकासीय लक्ष्यों से परिचित होना और तदनुसार गतिविधियाँ नियोजित करना। • पाठ योजनाएँ विकसित करने में मदद करना। • पूर्व-प्राथमिक शिक्षक के गतिविधि क्षेत्रों तथा प्रदर्शन बोर्ड और कमरे की भौतिक व्यवस्था की योजना बनाने और विकसित करने में मदद करना।	• विद्यालय आगमन पर और गतिविधियों के दौरान बच्चों के साथ रहकर निगरानी रखना, जैसे— शौचालय जाने के समय या बाहरी खेल के समय। • शिक्षक तथा सहायक शिक्षक की देख-रेख में भोजन तैयार करना। • क्षेत्र भ्रमण/प्रकृति भ्रमण के समय शिक्षक की मदद करना।

© NCERT not to be republished

		• हर समय बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करना। • बच्चों के व्यवहार/ कार्य को देखना तथा आकलन करना और नोट्स बनाना। • नियमित अंतरालों में बच्चों के अभिभावकों को अपने प्रेक्षणों से अवगत कराना। • पाठों की योजना बनाना जिसमें बच्चों द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियाँ हों। • यदि बच्चा लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसके समाधान के लिए उपाय करना।	• क्षेत्र भ्रमण/प्रकृति भ्रमण के समय शिक्षक को मदद देना। • प्रत्येक बच्चे की ताकतों और आवश्यकताओं को पहचानना, अध्यापक को रिपोर्ट करना और आकलन में शिक्षक की मदद करना। • बच्चों के पोर्टफोलियो का रख-रखाव करना। • शिक्षक की अनुपस्थिति में बच्चों से गतिविधियाँ कराना।	

अभिभावकों, समुदाय और अन्य हितधारियों की मदद				
पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का मुखिया	**पर्यवेक्षक या प्रभारी**	**शिक्षक**	**सहायक शिक्षक**	**सहायक**
• विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की मदद के लिए शिक्षक के साथ समन्वयन करना।	• अभिभावकों, समुदाय, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के बीच एक कड़ी एवं संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना। • उपस्थिति, प्रवेश, परिवहन, अभिभावक-शिक्षक बैठक आदि जैसी प्रशासनिक पूछताछ के लिए समन्वयन करना।	• पूर्व-प्राथमिक विद्यालय टीम के साथ कार्यक्रम को सुदृढ़ करना और अभिभावकों की मदद के लिए कार्य करना। • अभिभावकों/ समुदाय के साथ संबंध विकसित करना और उनके बच्चों की शिक्षा में उन्हें साथियों के रूप में शामिल करना।	• अभिभावकों और समुदाय के साथ बातचीत करने में शिक्षक की मदद करना और जब आवश्यकता हो, बच्चों के घर जाना।	• अभिभावकों के विद्यालय आने पर उनसे बातचीत करना।

© NCERT not to be republished

	• अभिभावकों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के दर्शन, नीतियों और शिक्षण प्रक्रियाओं पर अभिविन्यास की योजना बनाना और आयोजन करना तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। • अभिभावकों से सुझाव/ प्रतिपुष्टि और उनके विचार इकट्ठा करना।	• अभिभावक-शिक्षक बैठकों के समय अभिभावकों/ समुदाय से रुचिकर जानकारियोंको नियमित रूप से संप्रेषित और साझा करना। • अभिभावकों के लिए सूचनात्मक सत्र और कार्यशालाएँ रखना। • बच्चों के कार्य को देखना और उसका आकलन करना तथा संवेदनशील तरीके से बच्चों की प्रगति पर प्रतिपुष्टि देना।		
कक्षा-कक्ष संबंधी कर्तव्य				
पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का मुखिया	**पर्यवेक्षक या प्रभारी**	**शिक्षक**	**सहायक शिक्षक**	**सहायक**
• पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम में सुधार लाने हेतु उपयोगी 21वीं सदी के कौशलों और तकनीकों, जैसे— विवेचनात्मक चिंतन, सहायोग, समूहों में कार्य करना, स्व-नियमन आदि पर मार्गदर्शन।	• पूर्व-प्राथमिक कक्षा-कक्ष के वातावरण को सीखने-सिखाने के लिए उपयुक्त बनाने की योजना बनाना और मदद करना। • साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक बच्चे की औसत दैनिक उपस्थिति की निगरानी। • गतिविधि क्षेत्र में प्रेक्षण, खोजबीन और कार्यसाधन के लिए विविध सामग्रियों और संसाधनों को सुनिश्चित करना।	• सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा एक सुरक्षित, सुविधापूर्ण और भावनात्मक रूप से सहायक वातावरण बनाए रखना। • सभी बच्चों के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करना। • गतिविधि क्षेत्रों में बच्चों का अवलोकन तथा उनके साथ अंत: क्रिया करना।	• सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा एक सुरक्षित, सुविधापूर्ण और भावनात्मक रूप से सहायक वातावरण बनाए रखना। • बाहर खेलते समय बच्चों के साथ रहना, खेलना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। • गतिविधि क्षेत्र में बच्चों के साथ संवाद करना।	• समय-समय पर कक्षा की सफाई करना। • बच्चों के शौचालय, हाथ-धोने आदि की स्वच्छता का ध्यान रखना। • गतिविधियों के लिए कक्षा को तैयार करने हेतु शिक्षक की मदद करना, जैसे— गतिविधियों के लिए सामग्री व्यवस्थित करना।

© NCERT not to be republished

		• योजना के अनुसार प्रतिदिन के कार्यक्रमों का संप्रेषण सुनिश्चित करना। • प्रत्येक बच्चे के पोर्टफोलियो का रख-रखाव करना। • आपातकाल से निपटना और प्राथमिक उपचार करना। • बच्चों के साथ प्यार, लालन-पालन और तदानुभूति के साथ व्यवहार करना।	• बच्चों की दिनचर्या, जैसे— विद्यालय आना, घर जाना, नाश्ता करना, स्वास्थ्य देखभाल आदि का उत्तरदायित्व लेना। • आपातकाल से निपटना और प्राथमिक उपचार करना। • बच्चों के साथ प्यार, लालन-पालन और तदानुभूति के साथ व्यवहार करना।	• कमरे को विश्राम और संगीत तथा आवागमन के लिए तैयार करना • आपातकाल से निपटना और प्राथमिक उपचार करना। • प्यार और लालन-पालन करना। • शिक्षक/सहायक शिक्षक की देख-रेख में भोजन परोसना। • कार्यक्रमों के आयोजन में शिक्षक की सहायता करना। • उस खेल सामग्री की मरम्मत करवाना/हटा देना जिससे बच्चों को खतरा हो।

© NCERT not to be republished